नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए।
	संतपाल v/s [illegible] दावा	
11/	वकील प्रतिवादीगण उपस्थित [illegible] वादी दि० 6/7/11 को पेश हो। Riy	
22/5/17	पत्रावली आज लोक अदालत अभियान 2017 बैंच में पेश हुई। प्रतिवादीगण उप० है। प्रतिवादीगण के प्रपत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है, विवादित आराजी वादीगण की ही है। वादीगण प्रतिवादीगण के बाबत में कोई सवाल बाकी नहीं है। पक्षकारों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रपत्र प्रतिवादीगण द्वारा पेश का अवलोकन किया गया। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया, गया। पत्रावली फैसल होकर नियम से दाखिल दफ्तर हो। Riy	सतेन्द्र पाल विनोद पाल 22/5/17

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा(करौली)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मुकद्मा नम्बर	किस्म	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/15	दावा	09.06.2015	22.05.2017

1. संसार पाल उम्र 50 साल
2. यदूवंश पाल उम्र 45 साल
3. बृजेश पाल उम्र 40 साल
4. उमेश पाल उम्र 35 साल

पि0 स्व0 प्रकाश पाल जाति राजपूत निवासी खूबपुरा तहसील सपोटरा जिला किरौली (राज0) हाल निवासी करौली।

-वादीगण

बनाम

1. जयराजपाल पुत्र नरसिंह पाल उम्र 65 साल
2. विनोद पाल पुत्र जयराजपाल उम्र 47 साल
3. सतेन्द्र पाल पुत्र बृजराज पाल उम्र 55 साल

जाति सभी राजपूत निवासीयान खूबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0)।

-प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट (स्थाई निषेधाज्ञा)</u>

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रैफर किया जाकर सुना गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 959 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम एकट तहसील सपोटरा जिला करौली मे स्थित है जिस पर वादीगण वहैसियत खातेदारी काश्तकार काबिज है और फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का जिसमे कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है। वादीगण की उक्त आराजी के समीप प्रतिवादीगण की रिहायशी मकानियत स्थित है। प्रतिवादीगण बेइमानीपूर्वक नाजायत तौर पर ताकत के बल पर वादीगण की उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेध आज्ञा से पाबन्द किया जावें।"

प्रतिवादीगण ने आज लोक अदालत मे पेश होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी से हम प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी आराजी है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी मे किसी प्रकार का उपयोग उपभोग करते है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है तथा वादीगण का दावा का निस्तारण किये जाने को सहमत है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल संम्बत् 2068-2071 के मुताबिक वादीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण भी इस बात से सहमत हैं। इसलिए वादीगण का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की सेपरेट खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 959 रकबा 19 बिस्वा मौजा एकट तहसील सपोटरा जिला करौली मे वादीगण के काश्त करने मे ना तो स्वयं कोई अवरोध पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं कोई निर्माण नही करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को खुले कोर्ट कैम्प में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner